न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेन्द्र कुमार RAS

अनुवान रणजीत **बनाम** भंवरलाल आदि

प्रार्थना पत्र संख्या 256 वर्ष 2022

निर्णय दिनांक :– 28/08/2025

रणजीत पुत्र मंगलाराम उम्र 61 वर्ष जाति जाट निवासी घासला अगुणा तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र माडूराम जाति जाट निवासी घासला अगुणा तहसील तारानगर जिला चूरू
2. अनिता पुत्री फकिराराम जाति धानक निवासी घासला अगुणा तहसील तारानगर जिला चूरू
3. गुड्डी पुत्री फकिराराम जाति धानक निवासी घासला अगुणा तहसील तारानगर जिला चूरू
4. फूली देवी पत्नी फकिराराम जाति धानक निवासी घासला अगुणा तहसील तारानगर जिला चूरू
5. मूर्ति पुत्री फकिराराम जाति धानक निवासी घासला अगुणा तहसील तारानगर जिला चूरू
6. मोडूराम पुत्र फकिराराम जाति धानक निवासी घासला अगुणा तहसील तारानगर जिला चूरू
7. सन्तरी पुत्री फकिराराम जाति धानक निवासी घासला अगुणा तहसील तारानगर जिला चूरू
8. सोमवती पुत्री फकिराराम जाति धानक निवासी घासला अगुणा तहसील तारानगर जिला चूरू
9. शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा चंगोई तहसील तारानगर
10. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा तारानगर (चूरू)
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
251 (क) आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :–

1. श्री पवन योगी एडवोकेट वास्ते प्रार्थी
2. श्री रतन चाचाण एडवोकेट वास्ते अप्रार्थी संख्या 3, 4, 6

–: निर्णय :–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की कृषिभूमि ख. नं. 113/5 तादादी 1.8462 हैक्टयर वाके रोही घासला अगुणा तहसील तारानगर जिला चूरू स्थित है जो पूर्व में प्रार्थी के पिता मंगलाराम पुत्र भोलुराम के नाम खातेदारी में दर्ज थी। प्रार्थी के पिता मंगलाराम का देहान्त होने के बाद प्रार्थी व प्रार्थी की माता चिड़िया देवी, भाई विजयसिंह, शीशराम व बहिन सन्तोष के नाम संयुक्त खातेदारी में विरासतन रूप से दर्ज हो गई। विवादित कृषिभूमि मौखिक खाता विभाजन के अनुसार प्रार्थी के ही कब्जा काश्त की कृषिभूमि है। प्रार्थी को अपने खेत ख. नं. 113/5 में गांव घासला अगुणा से आने जाने का एकमात्र रास्ता अप्रार्थी सं. 2 ता 8 के खेत ख. नं. 6 में से होते हुए अप्रार्थी सं. 1 खेत ख. नं. 112/5 में से होकर जाता है इसके अलावा प्रार्थी के खेत का अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता अप्रार्थी सं. 1 ता 8 के खेतों में से होकर अपने गांव की तरफ जाता है इसके अलावा प्रार्थी के खेत का अन्य कोई आवागमन का रास्ता नहीं है। जिसे अनेक्चर 'क' में बरंग लाल दर्शाया गया है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटा हुआ नहीं होने के कारण प्रार्थी को अपने खेत में ट्रेक्टर, ऊंटगाड़ा व अन्य वाहन ले जाने में परेशानी रहती है तथा अप्रार्थी सं. 1 ता 8 ने अपनी मर्जी से कई बार रास्ता रोक दिया था जिसके लिए प्रार्थी ने तहसीलदार तारानगर को लिखित में

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

प्रार्थना–पत्र देकर पटवारी व गिरदावर से मौका दिखाया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 8 द्वारा बार–बार प्रार्थी के खेत ख. नं. 113/5 में जाने का रास्ता अवरूद्ध किया गया है इसलिए प्रार्थी को खेती सुधार व अपने खेत में सुचारू रूप से जाने के लिए अप्रार्थी सं. 1 ता 8 के खेत ख. नं. 6 व 112/5 में से 16 फिट का रास्ता दिलवाया जाना न्यायोचित है। अप्रार्थी सं. 1 ता 8 प्रार्थी के आवागमन में बाधा उत्पन्न करते है कभी–कभी रास्ता बन्द करने की धमकी भी देते है ऐसा प्रार्थी ने दिनांक 03.04.2022 को बमुकाम रोही घासला अगुणा में किया इसलिए प्रार्थी को उक्त रास्ते को कटानी रास्ते के रूप में कटवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वादाधार हासिल है तथा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। विवादित कृषिभूमि का मालिक राजस्थान सरकार होने से तहसीलदार तारानगर को औपचारिक पक्षकार अप्रार्थी सं. 11 बनाया गया है जिनके द्वारा ही राजस्व रिकार्ड में कटाणी रास्ता अंकन किया जाना है। प्रार्थी को अपने खेत में आने–जाने के लिए अप्रार्थी सं. 1 ता 8 के खेतों में से 16 फीट चौड़े रास्ते की आवश्यकता है जो अनेक्चर 'क' में वरंग लाल दर्शाया गया है। उक्त रास्ते के लिए प्रार्थी तय रकम के मुताबिक रकम भरने के लिए भी तैयार है। इस प्रकार प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट. मय अनेक्चर "ए" पेश कर रास्ता कायम कराने का अनुतोष चाहा।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3, 4, 6 की ओर से अधिवक्ता श्री रतन चाचाण ने वकालतनामा व प्रार्थना पत्र का जबाव पेश किया। तहसीलदार तारानगर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं. 1, 2, 5 व 7 ता 10 के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध दिनांक 28.02.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 11 की ओर से राजपैरोकार ने जाहिर किया कि प्रकरण में राज्यहित निहित नहीं है। रास्ता बाबत मौका रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली की गई। मौका रिपोर्ट पर अधिवक्ता अप्रार्थी सं 3, 4, 6 ने एतराज जाहिर किया है कि मौका रिपोर्ट माननीय राजस्व मंडल के निर्देशों के अनुसार नहीं है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का से मंगाई जानी पाई गई जो राजस्व मंडल के प्रावधानों के अनुसार नहीं होने के कारण मौका रिपोर्ट खारिज की जाकर तहसीलदार तारानगर को माननीय राजस्व मंडल अजमेर के धारा 251ए रास्ता के प्रावधानों के मुताबिक मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु पुनः आदेशित किया गया। तहसीलदार तारानगर से दिनांक 05.07.2024 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील अप्रार्थी ने मौका रिपोर्ट पर एतराज पेश किया। राजस्व कार्मिकों द्वारा विभिन्न स्तर पर विभिन्न मौका रिपोर्ट में विरोधाभास है जिसे वकील पक्षकारों ने स्वीकार किया। उभयपक्ष के अधिवक्तागणों ने गत तमाम मौका रिपोर्ट को निरस्त करने में सहमती जाहिर की है। अतः उभयपक्ष के निवेदन पर प्रकरण में प्राप्त समस्त मौका रिपोर्ट को दिनांक 25.07.2024 को निरस्त किया गया तथा तहसीलदार तारानगर को अपनी उपस्थिति में समस्त पक्षकारों को सूचित करते हुए मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार तारानगर से दिनांक 28.10.2024 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील पक्षकारान ने मौका रिपोर्ट पर बार–बार एतराज पेश किया। इसलिए स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा विवादित स्थल का निरीक्षण दिनांक 27.11.2024 को तहसीलदार तारानगर, गिरदावर हल्का, पटवारी व प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 व 06 की उपस्थिति में किया गया।

मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा मौका स्थल का भी निरीक्षण किया गया। प्रार्थी ने अपने खेत ख.नं. 11/5 रोही घासला अगुणा में आवागमन के लिए अप्रार्थी संख्या 02 ता 08 के खेत ख.नं. 06 व अप्रार्थी संख्या 01 के खेत ख.नं. 112/5 से होते हुए रास्ता मांगा है। खेत ख.नं. 06 के लगता कटाण रास्ता है। खेत ख.नं. 06 से लगता ही अन्य खातेदार का खेत ख.नं. 07 लगता है जो कटान (इसी कटान रास्ते पर जिस पर ख.नं. 06 है)

उपखण्ड अधिकारी

रास्ता पर है। ख.नं. 06 व 07 दोनो से वांछित रास्ता की नाप कराई गई। ख.नं. 06 से रास्ता की लम्बाई अधिक व पडौसी ख.नं. 07 से रास्ता की लंबाई कम बनती है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के अन्तर्गत प्रावधान है कि कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी कृषिभूमि तक पहुंच के लिए रास्ते हेतु अधिकार रखता है तथा वह अपनी कृषिभूमि तक धारा 251ए के अन्तर्गत रास्ता प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ता किमतन व बदले में भूमि देकर रास्ता राजस्व रिकार्ड में कायम करवा सकता है। साथ ही कटाणी रास्ते से सबसे कम दूरी का रास्ता ही प्राप्त करने का अधिकार रखता है। प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी कृषिभूमि ख.नं. 113/5 रोही ग्राम घासला अगुणा तहसील तारानगर तक पहुंच हेतु सबसे कम दूरी का रास्ता कटाणी रास्ता ख.नं. 17 से खसरा नं. 7 में से होते हुए बनता है। प्रार्थी द्वारा ख.नं. 112/5 व ख.नं. 6 के खातेदारों को ही पक्षकार बनाया गया है व ख.नं. 6 एवं ख.नं. 112/5 में से रास्ता काटने की मांग की गई है जिसमें से रास्ता कायम करने पर रास्ते की लंबाई ख.नं. 7 में से रास्ता कायम करने की लंबाई से अधिक है जो विधिनुसार नही है। चूंकि खातेदार द्वारा ख.नं. 7 के खातेदार को ना ही तो इस प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है एव ना ही उक्त खातेदार की भूमि में से रास्ते की मांग की गई है। ऐसे में बिना पक्षकार बनाये तथा बिना खातेदार की सुनवाई किये ख.नं. 7 में से रास्ता कायम करना न्यायसंगत नही होगा। प्रार्थी चाहे तो ख.नं. 7 में से रास्ते हेतु प्रकरण प्रस्तुत कर सकता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/08/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)